मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय, राई–131029
जिला–सोनीपत (हरियाणा)

नीलामी बारे सूचना

क्रमांकः एमएनएसएस/26/2021/77–90 दिनांकः 04.01.21

सूचित किया जाता है कि मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय, राई 250 एकड़ मे फैली हुई खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग के अधीन हरियाणा सरकार द्वारा संचालित एक सरकारी संस्था है और विद्यालय के कैम्पस के अन्दर 300 छात्राओं हेतु एक छात्रावास का निर्माण किया जाना है जिसके लिए निर्धारित की गई जमीन पर कुल 56 विभिन्न प्रकार के पेड़ है जिनका विविरण इस प्रकार से हैः–

क्र0 संख्या	वृक्ष की प्रजाति	कुल वृक्ष	वृक्ष का घनत्व
01	सफेदा	07	5.59
02	कीकर	02	1.27
03	शीशम	01	0.57
04	विविध प्रकार के वृक्ष	46	21.99
	कुल वृक्ष	**56**	**29.42**

अतः उपरोक्त कथित वृक्षों को कटवाया जाना है जिसके संबंध में दिनांक 19 जनवरी 2021 को प्रातः 10:00 बजे निम्नलिखित नियम व शर्तों के अनुसार विद्यालय प्रशासन द्वारा नीलामी होनी तय की गई हैः –

प्रमुख शर्ते

1. प्रत्येक बोली देने वाले को 5,000/– रूपये की जमा राशि स्कूल खजांची के पास जमा करवानी होगी और बिना जमानत राशि जमा करवाए कोई बोलीदाता बोली में भाग नहीं ले सकता।

2. सबसे अधिक दर/बोली वाले बोलीदाता को 25 प्रतिशत राशि तुरन्त जमा करवानी होगी और शेष राशि 48 घन्टे के अन्दर–अन्दर जमा करवानी होगी और 15 दिन के अन्दर–अन्दर वृक्ष कटवाने होगें और उक्त जगह को बिल्कुल साफ–सुथरा करना होगा लेकिन ऐसा न होने पर निम्नहस्ताक्षरित को जमा राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

3. सक्षमाधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए सर्वोच्च बोली को स्वीकार करने या निरस्त करने का अधिकार आरक्षित है तथा किसी भी वृक्ष की दर कम लगती हो तो सक्षमाधिकारी दर को बढ़ाने के लिए कह सकता है।

4. इन्छुक बोलीदाता के लिए उचित होगा कि वह दिनांक 19 जनवरी 2021 को प्रातः 10:00 बजे विद्यालय कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

प्रशासकीय अधिकारी
कृतेः प्रधानाचार्य एवं निदेशक
एम.एन.एस.एस., राई।

पृष्ठ क्रमांकः एमएनएसएस/21/77-83 दिनांक 04/01/21

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :-

1. उपायुक्त, सोनीपत।
2. खजाना अधिकारी, सोनीपत।
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राई एवं सोनीपत।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।
5. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, राई-एवं सोनीपत।
6. कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग भवन तथा सड़कें।
7. प्रशासक नगरपालिका, सोनीपत।

आन्तरिक पृष्ठनांकः एमएनएसएस/21/84-90 दिनांक 04/01/21

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही प्रेषित करते हुए लिखा जाता है कि नीलामी के लिए तैयार रहें।

1. प्रशासकीय अधिकारी।
2. लेखा अधिकारी।
3. वन मण्डल अधिकारी सोनीपत।
4. उपायुक्त कार्यालय द्वारा मन्नोनीत सदस्य।
5. क्वाटर मास्टर
6. एस.डी.ई.पीडब्ल्यूडी बी एण्ड आर।
7. लैण्डस्केपिंग इन्चार्ज

मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय, राई–131029
जिला–सोनीपत (हरियाणा)

नीलामी बारे सूचना

क्रमांकः एमएनएसएस / 26 / 2020 / 47 - 49 दिनांकः 04/01/2021

मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय, राई 250 एकड में फैली हुई खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग के अधीन व हरियाणा सरकार द्वारा संचालित एक संस्था है। जिसकी एक इमारत (छात्रा आवास पुराना) का निर्माण 1976 में हुआ था और यह इमारत लगभग 2025 sqm में बनी हुई है जिसके भूमितल पर 18 कमरे व 01 भण्डार कक्ष, प्रथम तल पर 18 कमरे, द्वितीय तल पर 16 कमरे, 05 टॉयलेट, 05 बाथरूम बने हुए हैं। इमारत में लगे सामान का विवरण इस प्रकार से है:–

क्र0 सं0	सामान का ब्यौरा	संख्या
1	ईटें	
2.	दरवाजे	571
3.	खिड़कियाँ	335
4.	शीशे	
5.	लोहे की ग्रिल	
6	लैंटर में लगा सरिया	
7	बिजली की तार	
8	प्लास्टिक पाईप	
9.	लोहा पाईप	
10.	बिजली बोर्ड	
11.	सौलर सिस्टम	
12	पानी प्लास्टिक टंकी	18
13	अन्य विभिन्न प्रकार का सामान	

अतः उपरोक्त कथित इमारत को संबंधित विभाग द्वारा नकारा घोषित कर दिया गया है तथा उक्त इमारत को गिराने व सारे मलबे को उठाने के संबंध में (जैसा है वैसी ही स्थिति में) दिनांक **19 जनवरी 2021** को प्रातः 10:00 बजे निम्नलिखित नियम व शर्तों के अनुसार विद्यालय प्रशासन द्वारा नीलामी होनी तय की गई है: –

..2..

<u>प्रमुख शर्तें</u>

1. प्रत्येक बोली देने वाले को 5,00,000/– रूपये की राशि जमानत राशि के रूप में विद्यालय खजांची के पास जमा करवानी होगी और बिना जमानत राशि जमा करवाए कोई भी बोलीदाता बोली में भाग नहीं ले सकेगा।

2. सबसे अधिक दर/बोली वाले बोलीदाता को 25 प्रतिशत राशि तुरन्त जमा करवानी होगी और शेष राशि 48 घन्टे के अन्दर–अन्दर जमा करवाकर इमारत का गिराना व मलबा 02 माह के अन्दर–अन्दर उठवाकर निर्माणाधीन जगह बिल्कुल साफ करवानी होगी और ऐसा न होने पर निम्नहस्ताक्षरित को जमा राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा बोलीदाता को प्रतिदिन 2500/–रूपये के हिसाब से विलम्ब जुर्माना देना होगा। यदि बोलीदाता निर्धारित समयावधि में इमारत गिराकर मलबा उठवा देता है और निर्माणाधीन जगह को बिल्कुल साफ–सुथरा करवा देता है तो उस अवस्था में उसके द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि विद्यालय प्रशासन द्वारा 02 दिन के अन्दर–अन्दर वापिस दे दी जाएगी।

3. सक्षमाधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए सर्वोच्च बोली को स्वीकार करने या निरस्त करने का अधिकार आरक्षित है तथा किसी भी वस्तु की दर कम लगती हो तो सक्षमाधिकारी दर को बढ़ाने के लिए कह सकता है।

4. बोली दो भागों में करवाई जाएगी जैसे कि प्रथम बोली का भाग इमारत के मैटिरियल की कुल राशि के रूप में तथा दूसरा भाग इमारत को तोड़ना व मलबा उठवाने की राशि के रूप की होगी।

5. इमारत का मलबा विद्यालय परिसर से बाहर बोलीदाता के द्वारा अपने स्तर पर अन्य किसी स्थान पर गिरवाने की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।

6. सबसे अधिक दर/बोली वाले बोलीदाता की बोली मन्जूरी जाने के बाद इमारत के सामान की रखवाली बोलीदाता की स्वयं की होगी और यदि कोई सामान चोरी होता है और यदि उसको नुकसान होता है तो उस अवस्था में विद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नही होगी।

7. इमारत गिराने के व मलबा उठवाने के दौरान यदि कोई अप्रिय घटना या हादसा होता है तो विद्यालय प्रशासन उसके लिए जिम्मेवार नही होगा। वह जिम्मेवारी बोलीदाता की ही होगी।

8. यदि बोली, इमारत गिराने व मलबा उठवाने के संबंध में कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटान सोनीपत न्यायालय में ही होगा।

9. बोली संबंधी, इमारत व उसमें लगे सामान संबंधी किसी भी जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता निम्नहस्ताक्षरित के कार्यालय में किसी कार्यदिवस के दौरान संपर्क कर सकते हैं।

10. इच्छुक बोलीदाता के लिए उचित होगा कि वह दिनांक **19 जनवरी 2021** को प्रातः 10:00 बजे विद्यालय कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

fw प्रशासकीय अधिकारी
कृतेः प्रधानाचार्य एवं निदेशक
एम.एन.एस.एस., राई।
(AO)

पृष्ठ क्रमांकः एमएनएसएस/ 47 - 53 दिनांक 04/01/21

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :–

1. उपायुक्त, सोनीपत।
2. खजाना अधिकारी, सोनीपत।
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राई एवं सोनीपत।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।
5. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, राई–एवं सोनीपत।
6. कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग भवन तथा सड़कें।.
7. प्रशासक नगरपालिका, सोनीपत।

आन्तरिक पृष्ठनांकः एमएनएसएस/ 54 - 60 दिनांक 04/01/21

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही प्रेषित करते हुए लिखा जाता है कि निलामी के लिए तैयार रहें।

1. प्रधान सचिव हरियाणा सरकार।
2. उपायुक्त कार्यालय सोनीपत।
3. प्रशासकीय अधिकारी।
4. उपायुक्त कार्यालय द्वारा मन्नोनीत सदस्य।
5. लेखा अधिकारी।
6. क्वाटर मास्टर
7. एस.डी.ई.पीडब्ल्यूडी बी एण्ड आर।
8. छात्रावास अधीक्षिका (श्रीमती स्नेहलता एवं श्रीमती राजवंती शर्मा)

fw प्रशासकीय अधिकारी
कृतेः प्रधानाचार्य एवं निदेशक
एम.एन.एस.एस., राई।
(AO)